भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या –55/2023–24

तिथि	आदेश	कि गई कार्रवाई
10/7/23	अभिलेख उप स्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी पटमदा के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान है :–	

1. विक्रेता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है।
2. विक्रेता और क्रेता दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)
3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। (निवास प्रमाण पत्र अभिलेख के साथ संलग्न है)
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरूद्व कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (क) के अन्तर्गत विक्रेता/क्रेता :– **रेना माझी, पिता–स्व0 गोबिन्द माझी**, जाति–**संथाल**, ग्राम–**काँकीडीह** थाना–**कमलपुर**, अंचल–**पटमदा**, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, क्रेता/ग्रहिता :–**बैद्यनाथ बेसरा**, **पिता–सुखलाल बेसरा**, जाति–**संथाल**, ग्राम:–**काँकीडीह**, थाना–**कमलपुर**, **अंचल–पटमदा**, **जिला–पूर्वी सिंहभूम** को मूल्य–5,00,000/–रूपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन का ब्यौरा :–

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
काँकीडीह	121	08	112 113 कुल–	2.5डी0 12.13डी0 14.63डी0

के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

लेखापित

10/7/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धालभूम, जमशेदपुर

Digitally signed by GOUTAM KUMAR
Date: 2024.08.27 15.05.30 +05:30
Location: 10.93.20.53